[2021] 3 एस. सी. आर. 576

केरल राज्य और अन्य

बनाम

लीसाम्मा जोसेफ

(सिविल अपील संख्या 59/2021)

28 जून, 2021

[संजय किशन कौल और आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्तिगण]

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: धारा 32 , 33 , 47 – पदोन्नति में आरक्षण आयोजितः एसएस। 32 , 33 और 47 समान के लिए प्रदान करता है पदोन्नति सहित कैरियर की प्रगति के लिए अवसर इस प्रकार यह यदि पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है और इस तरह का आरक्षण केवल सेवा में शामिल होने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है तो यह विधायी जनादेश का निषेध होगा–वास्तव में इसके परिणामस्वरूप विकलांगों को परिणामी निराशा में ठहराव का सामना करना पड़ेगा – आरक्षण और गणना संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए और सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए–उत्तरदाता को नौकरी दी गई है

अनुकंपा के आधार पर और सेवा में प्रवेश नहीं किया है

1995 अधिनियम, उस अधिनियम के तहत पदोन्नति का दावा करने का हकदार था।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण)

अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: एस. 33–क्या एस के तहत आरक्षण है। 33 1995 के अधिनियम का प्रावधान पदों की पहचान पर निर्भर है।

एस द्वारा निर्धारित के रूप में। 32 – आयोजित किया गयाः यह कभी भी विधायिका का इरादा नहीं था कि एस के प्रावधान। 32 एस के तहत आरक्षण के लाभों को विफल करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। 33 – वास्तव में,

आरक्षण के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान की जानी थी 1995 के अधिनियम के तुरंत बाद–इस तरह के आरक्षण का विरोध अधिकांश सरकारी अधिकारियों द्वारा इरादे को सही मायने में लागू करने में अपनाई गई देरी की रणनीति से स्पष्ट है।

एस के प्रावधान के तहत छूट दिए जाने तक प्रत्येक प्रतिष्ठान में पदों की पहचान। 33 – इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों की पहचान नियुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त थी, लेकिन फिर पूर्व शर्त का पालन करने से इनकार करके नियुक्ति को निराश नहीं किया जा सकता है।

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण)

अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995: एस. 32–ए की अनुपस्थिति में

पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए नियमों में प्रावधान, क्या पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है–इसमें कोई संदेह नहीं है, एस का अधिदेश। 32

1995 के अधिनियम में सरकार को ऐसे पदों की पहचान करने का आदेश दिया गया है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों से भरा जा सकता है।

पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति संवर्ग की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे पदों को पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए–ऐसे पदों की पहचान नहीं है

पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक पूर्व शर्त पर संदेह–पदोन्नति में आरक्षण को हराने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता है–एक बार उस पद की पहचान हो जाने के बाद, तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि यह उन पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होगा जिन्हें पदोन्नत किया गया है–पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नियमों की अनुपस्थिति पीडब्ल्यूडी के पदोन्नति में आरक्षण के अधिकारों को पराजित नहीं करेगी क्योंकि यह कानून से प्रवाहित होता है।

इसी तरह, वही पद उस व्यक्ति के साथ होगा जिसने अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सेवा में प्रवेश किया होगा – सेवा में प्रवेश का तरीका भेदभावपूर्ण पदोन्नति का मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

अभिनिर्धारित किया गयाः 1. क्या 1995 का अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को अनिवार्य करता है?

1.1 धारा 32,33 और 47 समान अवसर प्रदान करती है।

पदोन्नति सहित कैरियर की प्रगति के लिए। इस प्रकार, यह विधायी जनादेश का निषेध होगा यदि पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है और ऐसा आरक्षण सेवा में शामिल करने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है। वास्तव में इसके परिणामस्वरूप विकलांगों को एक परिणामी निराशा में ठहराव का सामना करना पड़ेगा। [पैरा 14] [589–बी–सी] 1.2 आरक्षण का संचालन और गणना संवर्ग की संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए और पदों [2021] 3 एस. सी. आर. के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरा जाना। संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में आरक्षण की गणना की जानी चाहिए और सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में नामांकन के साथ–साथ पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल होंगी। [पैरा 15,17] [589–सी–डी; 589–एफ–जी]

1.3 उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए दो प्रारंभिक नियम हैं, अर्थात फीडर संवर्ग से अस्थायी पद पर पदोन्नति के लिए नियम होने चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है – पदोन्नति यहां तक कि पीडब्ल्यूडी डी हॉर्स के लिए भी एक एकल लाभ के रूप में नियम हैं। पदोन्नति संवर्ग में पदों की पहचान करने के लिए 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत आवश्यकता को भी पूरा करना होगा। [पैरा 17] [590–सी–डी]

2. क्या 1995 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आरक्षण धारा द्वारा निर्धारित पदों की पहचान पर निर्भर है

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विधायिका का इरादा कभी नहीं था कि धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग इस रूप में किया जाएगा धारा 33 के तहत आरक्षण के लाभों को विफल करने का एक उपकरण। वास्तव में, आरक्षण के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान 1995 के अधिनियम के तुरंत बाद की जानी थी। इस तरह के आरक्षण का विरोध अधिकांश लोगों द्वारा अपनाई गई देरी की रणनीति से स्पष्ट है।

जो अधिनियमित अधिनियम के इरादे को विफल करने के तरीके और साधन खोजने का प्रयास करेगा और धारा 32 उसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। धारा 33 के प्रावधान के तहत छूट दिए जाने तक प्रत्येक प्रतिष्ठान में पदों की पहचान की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों की पहचान एक पूर्व शर्त थी नियुक्ति, लेकिन फिर नियुक्ति को पूर्व शर्त का पालन करने से इनकार करके निराश नहीं किया जा सकता है। [पैरा 19] [590–ई–एच; 591 ए–बी]

भारत सरकार और एएनआर। वी. रवि प्रकाश गुप्ता और अन्र। (2010) 7 एससीसी 626: [2010] 7 एस. सी. आर. 851; भारत संघ बनाम। राष्ट्रीय विकास परिसंघ

विकलांग & ए. एन. आर. (2015) 13 एस. सी. सी. 643 पर भरोसा किया।

3. क्या पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों में प्रावधान के अभाव में, क्या पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है?

3.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1995 के अधिनियम की धारा 32 का आदेश सरकार को उन पदों की पहचान करने का आदेश देता है जिन्हें भरा जा सकता है विकलांग व्यक्तियों के साथ। इस प्रकार, पदोन्नति संवर्ग के पदों की पहचान भी दिव्यांगों के लिए की जानी चाहिए और ऐसे पदों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे पदों की पहचान निस्संदेह पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक पूर्व शर्त है। पदोन्नति में आरक्षण को पराजित करने के लिए कोई कार्यप्रणाली नहीं हो सकती है। एक बार उस पद की पहचान हो जाने के बाद, तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि यह उन पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होगा जिन्हें पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नियमों की अनुपस्थिति पदोन्नति में आरक्षण के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारों को पराजित नहीं करेगी क्योंकि यह कानून से प्रवाहित होता है। [पैरा 20] [591–डी–एफ]

राजीव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2016) 13 एससीसी 153 [2016] 3 एससीआर 407–निर्भर पर।

3.2 उपरोक्त के लिए एकमात्र चेतावनी यह होगी कि सरकार का विचार है कि पदोन्नति संवर्ग में पदों को कार्यात्मक या अन्य कारणों से पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है और यह पदोन्नति में आरक्षण को हराने का एक चाल नहीं होनी चाहिए। इस तरह के परिदृश्य के परिणामस्वरूप निराशा और ठहराव होगा क्योंकि अन्य विकलांग व्यक्तियों पर भी अधिक बार पदोन्नत हो सकते हैं, विकलांगता पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करने के रास्ते में आती है। ऐसी स्थिति में,

सरकार को इस मुद्दे को हल करने के तरीके खोजने चाहिए पीडब्ल्यूडी का ठहराव। [पैरा 21] [591–जी–एच; 592–ए]

विकास कुमार बनाम। संघ लोक सेवा आयोग 2021

(2) स्केल 468 पर भरोसा किया गया।

3.3 धारा 2 (वाई) के साथ धारा 20 को पढ़ने से पता चलता है कि रोजगार में गैर–भेदभाव विधायिका का एक अधिदेश है। धारा 20 की उप–धारा (2) के संदर्भ में, जहां उपयोग की गई अभिव्यक्ति सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक पहलू के रूप में "उचित समायोजन" है, इस अभिव्यक्ति को धारा 2 (y) में परिभाषित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन अनिवार्य किए जा सकें कि पीडब्ल्यूडी [2021] 3 एस. सी. आर.

दूसरों के साथ समान रूप से अपने अधिकारों का आनंद लें या उनका प्रयोग करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस तरह की रेखा से कोई सुराग नहीं लिया जा सकता है

के इरादे को पूरा करने के लिए व्याख्या और तर्क विधान. 1995 के अधिनियम के तहत भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकार, और वे एक समान अवसर कैसे प्राप्त करेंगे, एक सामाजिक मानसिकता परिवर्तन की एक बड़ी बाधा द्वारा अवरुद्ध एक निरंतर अभ्यास रहा है और 2016 का अधिनियम इसका परिणाम है। [पैरा 24, 25] [593 सी–ई]

4. क्या उत्तरदाता को देकर पदोन्नत किया जा सकता है

आरक्षण का लाभ क्योंकि वह एक पीडब्ल्यूडी है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे पीडब्ल्यूडी कोटे में नियुक्त नहीं किया गया था?

4.1 आक्षेपित आदेश में निर्देश था कि प्रत्यर्थी को उस समय विकलांगता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए जब दावा मूल रूप से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसके अधीन था

इस तरह के आरक्षण के हकदार अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों के संदर्भ में वरिष्ठता। जिस तारीख से वह हकदार पाई गई थी, उस तारीख से उन्हें अपनी पदोन्नति के काल्पनिक लाभों का भी हकदार माना

गया था। भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बहुत व्यापक कार्य शुरू किया है।

उन पदों की पहचान करने की कवायद जो पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं और ऐसे पदों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि यू. डी. सी./कैशियर का पद इसके लिए उत्तरदायी होगा – पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी पदोन्नति पद के कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम रहा है और इस प्रकार आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है (भले ही नियम पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं) क्योंकि 1995 के अधिनियम की धारा 32 सुविधा प्रदान करने के लिए है लेकिन नहीं

विधायी जनादेश को बाधित करना। [पैरा 26] [593–एफ–एच; 594–बी–डी]

4.2 प्रतिवादी की मानक अक्षमता के बारे में कोई विवाद नहीं है। यह भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी होगा

भारत के संविधान का अधिदेश यदि प्रतिवादी नहीं है

इस बहाने से पीडब्ल्यूडी कोटे में पदोन्नति के लिए विचार किया गया। एक बार प्रत्यर्थी की नियुक्ति हो जाने के बाद, उसे पीडब्ल्यूडी संवर्ग में अन्य लोगों की तरह ही रखा जाना है। अपीलार्थी के प्रस्तुत करने से जो विसंगति उत्पन्न होगी–राज्य स्पष्ट है–एक व्यक्ति जो

सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आया लेकिन केरल और ओआरएस राज्य में अक्षमता का सामना करना पड़ता है।

सेवा में शामिल होने के बाद एक पैरी मैटेरिया पद पर भी पदोन्नति पद में रिक्ति पर विचार करने का हकदार नहीं होगा।

पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित। यह परिणाम है यदि प्रवेश बिंदु को लाभों का लाभ उठाने की पात्रता का निर्धारक माना जाता है। भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन जो सामग्री है वह यह है कि कर्मचारी उस समय पीडब्ल्यूडी है। पदोन्नति के लिए विचार। 1995 का अधिनियम उस व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है जिसने विकलांगता के कारण सेवा में प्रवेश किया हो और उस व्यक्ति के बीच जो सेवा में प्रवेश करने के बाद विकलांगता प्राप्त कर चुका हो। इसी तरह, वही पद उस व्यक्ति के साथ होगा जिसने अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सेवा में प्रवेश किया होगा। सेवा में प्रवेश का तरीका भेदभावपूर्ण पदोन्नति का मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता है। [पैरा 27] [594–डी–एच]

पूनम मनचंदा बनाम। भारत संघ (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 2710; भारत संघ बनाम। पूनम

मनचंदा सिविल अपील सं. 6092/2019; कमला

चान्याल वी। उत्तराखंड राज्य डब्ल्यू. पी. सं. 126/2015 –

निर्णय दिनांक 29.11.2016; उमा प्रसाद बनाम। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ई. पी. एफ. ओ.: विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के समक्ष एक मामला

(दिव्यांगजन) सरकार। भारत का–संदर्भित।

5. अपीलार्थी–राज्य ने राजीव कुमार गुप्ता और सिद्धाराजू के मामलों में इस न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया है। केरल राज्य को इन निर्णयों को लागू करने का निर्देश दिया गया है

और उक्त पदों की पहचान करने के बाद सभी पदों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करें। [पैरा 29] [596–सी–डी]

भारत संघ बनाम। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (2013) 10 एससीसी 772: [2013] 9 एस. सी. आर. 1023; विकलांग और ए. एन. आर. के विकास के लिए राष्ट्रीय परिसंघ। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2015) एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 5112; इंद्रा साहनी और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। सिद्धाराजू बनाम। कर्नाटक राज्य और अन्य। 2020 3

स्केल 99–संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ		
[2013] 9 एससीआर 1023	पैरा 7	संदर्भित किया गया है
[2016] 3 एससीआर 407	पैरा 8	उस पर भरोसा करें
[2010] 7 एससीआर 851	पैरा 17	उस पर भरोसा करें
(2015) 13 एस. सी. सी. 643	पैरा17	उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 59/2021 .

उच्च न्यायालय के 09.03.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. पी. में एर्नाकुलम में केरल के (के. ए. टी.) 2015 का 286।

जिष्णु एम. एल, सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश,

जी. प्रकाश, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था संजय किशन कौल, जे।

1. अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जागृति

विशेष क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए अवसर (इसके बाद 'पीडब्ल्यूडी' के रूप में संदर्भित) ने घोषणा को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए प्रेरित किया

एशियाई में विकलांग लोगों की भागीदारी और समानता और बीजिंग में आयोजित एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य राज्यों की बैठक में प्रशांत क्षेत्र

दिसंबर, 1992; जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए, विकलांग व्यक्ति (समान)

अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद "1995 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया गया था जो 7 फरवरी, 1996 को लागू हुआ था। 2007 में, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू. एन. सी. आर. पी. डी.) की पुष्टि की। में।

संसद की स्थायी समिति में बहस के अनुसरण में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (जिसे इसके बाद "2016 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया।

2. वर्तमान कार्यवाही में हमारे सामने जिस मुद्दे पर चर्चा की गई है, वह है –

1995 के अधिनियम के तहत पदोन्नति का अधिकार, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया था, जिसमें वह 9 मार्च, 2020 के विवादित आदेश के संदर्भ में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुई। प्रत्यर्थी केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक दावे में सफल नहीं हुआ जिसने केरल और ओआरएस राज्य को खारिज कर दिया। 27 फरवरी, 2015 के आदेश द्वारा उनका आवेदन, लेकिन उक्त निर्णय को विवादित आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

3. 7 जनवरी, 2021 को, हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को नोट किया था कि प्रतिवादी को नौकरी दी गई थी

अनुकंपा का आधार और इस प्रकार प्रवेश बिंदु 1995 के अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्ति का नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए, एक निवेदन किया गया था कि ऐसा व्यक्ति पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह अन्य सामान्य उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा। हमारा विचार था कि इस मुद्दे की जांच की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि प्रतिवादी सेवानिवृत्त हो गया था और यह केवल उसके वित्तीय लाभों का मुद्दा था, इसलिए हमने विवादित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। कानूनी मुद्दे की जांच करने के लिए अनुमति दी गई थी और हमने श्री गौरव अग्रवाल को अदालत की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया, क्योंकि प्रतिवादी हमारे सामने प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

4. प्रत्यर्थी से संबंधित तथ्य वास्तव में आवश्यक नहीं हैं विस्तार से दर्ज किया जाए, सिवाय इस बात के कि उन्हें 1996 में अनुकंपा के आधार पर पुलिस विभाग में टाइपिस्ट/क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था, जब उनके भाई का सेवा के दौरान निधन हो गया था। वह निर्विवाद रूप से पोस्ट पोलियो अवशिष्ट पक्षाघात (एल) निचले अंग से पीड़ित थीं और उनकी स्थायी अक्षमता का आकलन 55 प्रतिशत किया गया था। उत्तरदाता ने बाद में पदोन्नति के लिए सभी विभागीय परीक्षाओं को पास किया, और दिसंबर, 1998 में परीक्षण योग्य हो गया। उन्हें जुलाई, 2001 में अपनी वरिष्ठता खोए बिना लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में एक श्रेणी परिवर्तन दिया गया था और बाद में 16 सितंबर, 2004 को परीक्षण योग्य एल. डी. सी. की वरिष्ठता सूची के आधार पर वरिष्ठ क्लर्क (अपर डिवीजन क्लर्क के बराबर) के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें 5 तारीख को कैशियर के पद पर पदोन्नत किया गया।

मई, 2015। प्रत्यर्थी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था, वह यह था कि वह 1 जुलाई, 2002 से सभी परिणामी लाभों के साथ एक वरिष्ठ क्लर्क के रूप में और 20 मई, 2012 से सभी परिणामी लाभों के साथ एक कैशियर के रूप में और उसके बाद अपनी पात्रता की तारीख से कनिष्ठ अधीक्षक के रूप में पदोन्नति की हकदार थी। यह याचिका पदोन्नति के मामलों में आरक्षण पर आधारित थी जिसे उन्होंने 1995 के अधिनियम के तहत माँगा था क्योंकि वह शारीरिक अक्षमता से पीड़ित थीं।

न्यायाधिकरण का दृश्य

5. 1995 के अधिनियम के तहत रोजगार के पहलू पर विचार किया गया है।

अध्याय VI में। धारा 32 उन पदों की पहचान को अनिवार्य करती है जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट करते हैं। विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित किया जा सकता है जबकि धारा 33 पदों के आरक्षण का प्रावधान करती है। प्रावधानों को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

" 32. आरक्षित किए जा सकने वाले पदों की पहचान

विकलांग व्यक्तियों के लिए। – उपयुक्त सरकारें

करेंगे।

(क) प्रतिष्ठानों में उन पदों की पहचान करें, जिन्हें आरक्षित किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए;
(ख) तीन वर्ष से अधिक के आवधिक अंतराल पर, चिन्हित पदों की सूची की समीक्षा करें और प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए सूची को अद्यतन करें।

33. पदों का आरक्षण। – प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में ऐसे प्रतिशत की नियुक्ति करेगा –

विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए तीन प्रतिशत से कम रिक्तियां जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत होगी।

पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाए

(iii) लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी, प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में:

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार,

किसी विभाग में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए या

प्रतिष्ठान, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती हैं, किसी भी प्रतिष्ठान को छूट देता है।

इस धारा के प्रावधानों से "।

6. धारा 33 को पढ़ने पर, न्यायाधिकरण ने कहा कि उसने केवल व्यक्तियों या वर्ग के लिए 3 प्रतिशत से कम के आरक्षण का प्रावधान किया है। पीडब्ल्यूडी लेकिन पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। न्यायाधिकरण द्वारा पदों की पहचान को अनिवार्य करने वाली धारा 32 पर ध्यान दिया गया और इसके तहत जारी सरकारी आदेश ने केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के मामलों में आरक्षण को सीमित कर दिया। द.

पदोन्नति एक बार फिर एक ऐसा पहलू था जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था।

7. न्यायाधिकरण ने भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड 1 में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए कहा कि इसके तहत यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या समय-समय पर उत्पन्न होने वाले किसी विशेष पद में रिक्तियों के संबंध में 3 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना था, या उस पद की संवर्ग संख्या। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई थी कि आरक्षण रिक्तियों के संदर्भ में लागू किया जाना था। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में किसी भी टिप्पणी का अभाव देखा गया। नेशनल कन्फेडरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिसेबल्ड एंड ए. एन. आर. में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय। बनाम भारत संघ और पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लाभ का निर्देश देने वाले Ors.[2] की भी जांच की गई; लेकिन यह राय दी गई कि केरल राज्य में भर्ती, 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत सरकार द्वारा जारी सामान्य नियम और अन्य आदेशों में पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन को खारिज कर दिया गया।

केरल उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

8. उच्च न्यायालय ने संक्षिप्त रूप से कानून का एक सवाल रखा कि क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। इस संबंध में, इस न्यायालय का निर्णय दिया गया

बाद में राजीव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और Ors.3 में इस प्रभाव पर ध्यान दिया गया कि आरक्षण पदोन्नति में भी लागू होगा। इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने संदर्भित किया था

इस प्रश्न पर कि क्या यह आदेश इंद्र साहनी और अन्य मामलों में निर्णय के विरुद्ध जाएगा, इस संबंध में एक बड़ी पीठ के समक्ष मामला। बनाम। भारत संघ और ओआरएस। 4 इस मामले

को सिद्धाराजू बनाम कर्नाटक राज्य और Ors.5 में हल किया गया था जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि इस तरह का आरक्षण पदोन्नति में लागू था और इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) के अनुपात को अलग किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आदेश को रद्द कर दिया

न्यायाधिकरण और प्रत्यर्थी को राहत प्रदान की।

अपीलों का मामला

9. अपीलार्थी की ओर से हमारे समक्ष तीन बार निवेदन किया गया–बताएँः

सिद्धाराजू के मामले (ऊपर) में यह राय दी गई थी कि धारा 32 ए।

और 1995 के अधिनियम के 33 ने अनिवार्य किया कि सरकार द्वारा पहचाने गए 3 से 4 प्रतिशत पदों के लिए आरक्षित किया जाना था।

2 2015 एससीसी ऑनलाइन बॉम 5112।

4 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217। 5 2020 3 स्केल 99।

शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों की नियुक्ति। यह अनुरोध किया गया था कि इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि इस तरह का आरक्षण पदोन्नति तक भी विस्तारित होगा।

अक्षमता, उन्हें 1995 के अधिनियम के तहत भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन उनके भाई की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था।
भर्ती के विभिन्न माध्यम। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि वह 1995 के अधिनियम के तहत पदोन्नति में आरक्षण के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती हैं।

सरकार ने 3–4 प्रदान करने के लिए कई आदेश जारी किए थे

के मामलों में 1995 के अधिनियम के अनुसार प्रतिशत आरक्षण

नियुक्ति।

ऐमिकस क्यूरिया के विषय

10. विद्वान न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल ने हमें इन पहलुओं से संबंधित कानूनी घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य के बारे में बतायाः 1995 के अधिनियम के तहत पदोन्नति में आरक्षण और 2016 के अधिनियम के अधिनियमन पर उस अधिनियम के निरसन के परिणाम। इस संबंध में, हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि राज्य सरकार ने विद्वान न्यायमित्र की दलीलों के लिखित नोट को ध्यान में रखते हुए हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास कियाः

सिद्धाराजू के मामले (ऊपर) में निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए एम. ए. सं. 2171/2020 दाखिल करने का तथ्य और आवेदन के परिणाम की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। हालांकि, दूसरी ओर,

विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने उस मामले के रिकॉर्ड की जांच की थी और उसमें शामिल मुद्दा वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दे से संबंधित नहीं है। हम 2016 के अधिनियम की धारा 34 को नोट कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैः

34. आरक्षण। – (1) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम चार प्रतिशत की नियुक्ति करेगी। मानक विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का एक प्रतिशत खंड (ए), (बी) और (सी) और एक प्रतिशत के तहत मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए

खंड (घ) और (ङ), अर्थात्ः

(ए) अंधापन और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और सुनने में कठिन; वह केरल और हमारा बताता है।

(ग) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग सहित लोकोमोटर अक्षमता,

बौनापन, एसिड हमले के शिकार और पेशीय विकृति;

(घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता और

अक्षमताएँः बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो उपयुक्त द्वारा जारी किए जाते हैं।

समय–समय पर सरकारः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार,

मुख्य आयुक्त या राज्य के साथ परामर्श आयुक्त, यथास्थिति, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो हो सके

ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट किसी भी सरकार को छूट इस धारा के प्रावधानों से स्थापना।

(2) जहां किसी भी भर्ती वर्ष में बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को बाद के भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और यदि –

आगामी भर्ती वर्ष भी उपयुक्त व्यक्ति के साथ

बेंचमार्क विकलांगता उपलब्ध नहीं है, इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच आदान–प्रदान द्वारा भरा जा सकता है और केवल तभी जब उस वर्ष पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा। विकलांग व्यक्तिः

बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो

(3) उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में इस तरह की छूट प्रदान कर सकती है – मानक अक्षमता वाले व्यक्ति, जैसा कि वे उचित समझते हैं।

11. भौतिक पहलू वह परंतुक है जो यह निर्धारित करता है कि पदोन्नति में राशन ऐसे निर्देशों [2021] 3 एस. सी. आर. के अनुसार होगा।

विचार के लिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी को अनुकंपा के आधार पर रोजगार दिया गया था और उसने 1995 के अधिनियम के तहत सेवा में प्रवेश नहीं किया था, वह उस अधिनियम के तहत पदोन्नति का दावा करने का हकदार था। राज्य की दलील थी कि चूंकि अपीलकर्ता राज्य के नियमों में 1995 के अधिनियम द्वारा शासित लोगों को पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं है।

12. न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल ने न्यायिक घोषणाओं को प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत लिखित नोट प्रस्तुत किया और

चार मुद्दों को निर्धारित करें जो विचार के लिए उत्पन्न होंगे। अब हम इसके बाद चार पहलुओं में से प्रत्येक पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

I. क्या 1995 का अधिनियम आरक्षण को अनिवार्य करता है

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति?

13. हमारे समक्ष एक व्यापक पहलू प्रस्तुत करने की मांग की गई है कि 1995 के अधिनियम की धारा 32 और 33 की व्याख्या की जानी चाहिए और उस अधिनियम की धारा 47 के अनुरूप जो निम्नानुसार है:

" 47. सरकारी नौकरी में गैर–भेदभाव।

(1) कोई भी प्रतिष्ठान किसी पद को नहीं हटाएगा या कम नहीं करेगा।

कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है: बशर्ते कि, यदि कोई कर्मचारी, विकलांगता प्राप्त करने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जो वह धारण कर रहा था, तो उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि कर्मचारी को किसी पद के लिए समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे तब तक अतिरिक्त पद पर रखा जा सकता है जब तक कि कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह आयु प्राप्त न कर ले।

सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो।
(2) केवल जमीनी स्तर पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

उसकी अक्षमता के बारे में:

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार,

किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए,

अधिसूचना और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट, किसी भी प्रतिष्ठान को छूट

इस धारा के प्रावधान "।

14. विधायी जनादेश को उपरोक्त संदर्भ में समझना होगा क्योंकि यह कैरियर की प्रगति के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

पदोन्नति सहित। इस प्रकार, यह विधायी जनादेश का निषेध होगा यदि पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है और ऐसा आरक्षण सेवा में शामिल करने के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है। वास्तव में इसके परिणामस्वरूप विकलांगों को एक परिणामी निराशा में ठहराव का सामना करना पड़ेगा। 6

अक्षमता के साथ। 7

17. उपरोक्त याचिका की जांच करने पर हम पाते हैं कि विद्वान न्यायमित्र जो तर्क देते हैं, उसमें योग्यता है और हम उनमें से हैं –

यह विचार कि वास्तव में यह मुद्दा भारत सरकार और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए अब एकीकृत नहीं है। बनाम रवि प्रकाश गुप्ता और Anr.[3] और भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड (उपरोक्त) का मानना है कि आरक्षण की गणना संवर्ग की संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के संदर्भ में की जानी चाहिए और सीधी भर्ती और द्वारा भरे जाने वाले पदों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। पदोन्नति। इस प्रकार, संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या में नामांकन के साथ–साथ पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां शामिल होंगी। वास्तव में, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया विचार था जिस पर चर्चा की गई थी

6 यह विक्लांग सांग हरियाणा बनाम हरियाणा राज्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4266 में आयोजित किया गया था क्योंकि हरियाणा राज्य ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं किया था।

' इस प्रकार बंबई उच्च न्यायालय ने रवींद्र बनाम. भारत संघ, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम 771 ने राजीव कुमार गुप्ता (ऊपर) और सिद्धाराजू (ऊपर) में इस माननीय न्यायालय के फैसलों की व्याख्या की है।

8 (2010) 7 एससीसी 626।

विकलांगों और ए. एन. आर. के विकास के लिए राष्ट्रीय परिसंघ में उपरोक्त। बनाम भारत संघ और अन्य। (उपर्युक्त) भारत संघ बनाम राष्ट्रीय एस. एल. पी. में खारिज की गई एस. एल. पी. में उसी

चुनौती के साथ। विकलांगों के विकास के लिए परिसंघ & Anr.[9] हम पैराग्राफ 24 में राजीव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (ऊपर) में टिप्पणियों पर ध्यान दे सकते हैंः एक बार पद की पहचान हो जाने के बाद, इसे पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे उक्त पद को भरने के लिए राज्य द्वारा भर्ती का कोई भी तरीका अपनाया गया हो "और सरकार को समूह ए और समूह बी में सभी चिन्हित पदों में पीडब्ल्यूडी को 3 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश जारी किया गया था" चाहे ऐसे पदों को भरने का कोई भी तरीका हो "।

विद्वान न्यायमित्र ने सही ही इन दोनों की ओर इशारा किया है

उक्त प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक, यानी फीडर कैडर से अस्थायी पद पर पदोन्नति के लिए नियम होने चाहिए क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए भी पदोन्नति नहीं हो सकती है। पहचान के लिए 1995 के अधिनियम की धारा 32 के तहत आवश्यकता को भी पूरा करना होगा। पदोन्नति संवर्ग में पद।

18. हमारे विचार में, उपरोक्त को विवाद को शांत करना चाहिए।

जहाँ तक 1995 के अधिनियम के अधिदेश का संबंध है, पदोन्नति। II. क्या 1995 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आरक्षण

द्वारा निर्धारित पदों की पहचान पर निर्भर है

धारा 32?

19. विद्वान न्यायमित्र की एक याचिका पर, जिसे हम बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसका इरादा कभी भी नहीं था

अधिकांश लोगों द्वारा अपनाई गई देरी की रणनीति से आरक्षण स्पष्ट है। इरादे को सही मायने में लागू करने में सरकारी अधिकारियों की। इस प्रकार यह दर्शाता है कि कभी–कभी किसी कानून को लागू करना आसान होता है लेकिन सामाजिक मानसिकता को बदलना कहीं अधिक कठिन होता है जो अधिनियमित अधिनियम के इरादे को विफल करने के तरीके और साधन खोजने का प्रयास करेगा और धारा 32 इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण था –

एक ही। भारत सरकार और ए. एन. आर. बनाम रवि प्रकाश गुप्ता और अन्र। (ऊपर) इसके अलावा, इस न्यायालय ने आरक्षण के उद्देश्यों के लिए पदों की पहचान को अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार, धारा 33 के प्रावधान के तहत छूट दिए जाने तक प्रत्येक प्रतिष्ठान में पदों की पहचान की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों की पहचान नियुक्ति के लिए एक पूर्व शर्त थी, लेकिन फिर पूर्व शर्त का पालन करने से इनकार करके नियुक्ति को निराश नहीं किया जा सकता है। इस विचार की पुष्टि भारत संघ बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने की थी। III. क्या पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों में प्रावधान के अभाव में, क्या पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है?

20. उपरोक्त मुद्दा विद्वान न्यायमित्र द्वारा अपीलार्थी राज्य की याचिका के संदर्भ में उठाया गया था कि राज्य दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। इस प्रकार,

एक विकलांग व्यक्ति को फीडर संवर्ग में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1995 के अधिनियम की धारा 32 का अधिदेश आदेश देता है –

सरकार उन पदों की पहचान करेगी जिन्हें विकलांग व्यक्तियों से भरा जा सकता है। इस प्रकार, पदोन्नति संवर्ग के पदों को भी पीडब्ल्यूडी के लिए पहचाना जाना चाहिए और ऐसे पदों को पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे पदों की पहचान निस्संदेह एक पूर्व शर्त है

पीडब्ल्यूडी के लिए पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति में आरक्षण को पराजित करने के लिए कोई कार्यप्रणाली नहीं हो सकती। एक बार वह पोस्ट है पहचाने जाने पर, तार्किक निष्कर्ष यह होगा कि यह पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होगा जिन्हें पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए नियमों की अनुपस्थिति पीडब्ल्यूडी के अधिकारों को पराजित नहीं करेगी

पदोन्नति में आरक्षण के लिए क्योंकि यह कानून से प्रवाहित होता है और हमारे विचार में, यह राजीव कुमार गुप्ता और सिद्दाराजू के मामलों (उपरोक्त) में इस न्यायालय के जनादेश का आधार है। 21. उपरोक्त के लिए एकमात्र चेतावनी यह होगी कि सरकार का विचार है कि पदोन्नति संवर्ग में पदों को कार्यात्मक या अन्य कारणों से पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है और यह पदोन्नति में आरक्षण को हराने का एक चाल नहीं होनी चाहिए। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस तरह के परिदृश्य का परिणाम होगा

विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किए गए विकलांग व्यक्तियों पर भी दूसरों के रूप में निराशा और ठहराव को बढ़ावा दिया जा सकता है

क्यूरी, अक्सर नहीं, विकलांगता [2021] 3 एस. सी. आर. के रास्ते में आती है।

पदोन्नति की आवश्यकताओं को पूरा करना। ऐसी स्थिति में, हमें सरकार से पीडब्ल्यूडी के ठहराव के मुद्दे को हल करने के तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता होगी। 22. उपरोक्त संभावना में, विद्वान न्यायमित्र ने कहा है

कुछ समाधान सुझाए, अर्थात (ए) अन्य विभागों/प्रतिष्ठानों में पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए (जहां उच्च स्तर पर पीडब्ल्यूडी के लिए पदों की पहचान की जाती है) या (बी) उसी पद पर उच्च वेतन का अनुदान। इसे धारा 47 से आने वाला एक दायित्व कहा गया है।

1995 का अधिनियम। 23. विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले में 2016 के अधिनियम पर विचार करते हुए धारा 2 (वाई) के साथ पठित धारा 20 की विस्तृत व्याख्या की गई है। उक्त प्रावधान निम्नानुसार हैंः

" 20. रोजगार में गैर–भेदभाव।

(1) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगाः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार,

किसी भी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार के संबंध में, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो किसी भी छूट

इस धारा के प्रावधानों से स्थापना।

(2) प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान विकलांग कर्मचारियों को उचित आवास और उचित बाधा मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा।

(3) केवल अक्षमता के आधार पर किसी व्यक्ति को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा। (4) कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान विकलांग हो जाता है, पद से हटा या घटा नहीं करेगाः

बशर्ते कि, यदि कोई कर्मचारी विकलांगता प्राप्त करने के बाद है

जो उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जो वह धारण कर रहा था, उसे उसी वेतनमान और सेवा लाभों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि कर्मचारी को किसी भी पद के खिलाफ समायोजित करना संभव नहीं है, तो उसे अतिरिक्त संख्या में रखा जा सकता है।

। (2) स्केल 468।

जब तक कोई उपयुक्त पद उपलब्ध न हो या वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त न कर ले, जो भी पहले हो।

(5) उपयुक्त सरकार विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकती है।

" 2. परिभाषाएँ

(y) "उचित समायोजन" का अर्थ है किसी विशेष मामले में असमान या अनुचित बोझ लगाए बिना आवश्यक और उचित संशोधन और समायोजन, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद या प्रयोग करने में असमर्थता;

24. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि रोजगार में भेदभाव न करना विधायिका का आदेश है। धारा 20 की उप–धारा (2) के संदर्भ में, जहां उपयोग की गई अभिव्यक्ति प्रदान किए जाने वाले पहलू के रूप में "उचित समायोजन" है।

25. हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि विधान के आशय को पूरा करने के लिए इस तरह की व्याख्या और तर्क से कोई सुराग क्यों नहीं लिया जा सकता है। 1995 के अधिनियम के तहत भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकार, और वे एक समान अवसर कैसे प्राप्त करेंगे, एक सामाजिक मानसिकता परिवर्तन की एक बड़ी बाधा द्वारा अवरुद्ध एक निरंतर अभ्यास रहा है और 2016 का अधिनियम इसका परिणाम है। IV. क्या उत्तरदाता को देकर पदोन्नत किया जा सकता है

आरक्षण का लाभ क्योंकि वह एक पीडब्ल्यूडी है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे पीडब्ल्यूडी कोटे में नियुक्त नहीं किया गया था?

26. अगर हम ऐसा कहें, तो यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसने हमें एसएलपी में छुट्टी देने के लिए राजी किया। आक्षेपित आदेश में निर्देश प्रतिवादी के लिए विचार करने के लिए था

उस समय विकलांगता के आधार पर पदोन्नति जब मूल रूप से दावा किया गया था, लेकिन अन्य पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में उसकी वरिष्ठता के अधीन

ऐसे आरक्षण के हकदार उम्मीदवार। जिस तारीख से वह हकदार पाई गई थी, उस तारीख से उन्हें अपनी पदोन्नति के काल्पनिक लाभों का भी हकदार माना गया था। तथ्यात्मक संदर्भ में, विद्वान न्यायमित्र ने यह बताया है कि प्रत्यर्थी ने दावा किया था कि 1 जुलाई, 2002 और [2021] 3 एस. सी. आर. से यू. डी. सी. के पद पर पदोन्नति।

20 मई, 2012 से कैशियर के पद पर। न्यायमित्र का प्रयास अपीलार्थी–राज्य से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और उनका जवाब प्राप्त करना था। इस संबंध में यह बताया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिकारिता विभाग में है

जिन्हें पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित किया जा सकता है और ऐसे पदों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे यह प्रतीत होता है कि यू. डी. सी./कैशियर का पद पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी सक्षम रहा है। पदोन्नति पद के कार्यों का निर्वहन करना और इस प्रकार आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है (भले ही नियम पदोन्नति में किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं करते हैं) जैसा कि हमने बार–बार देखा है कि 1995 के अधिनियम की धारा 32 सुविधा प्रदान करने के लिए है लेकिन विधायी जनादेश को बाधित करने के लिए नहीं है।

27. अब उत्तरदाता को शुरू में फीडर कैडर में पीडब्ल्यूडी के लिए कोटा में नियुक्त नहीं किए जाने के सवाल पर आते हुए, हम ध्यान देते हैं कि उत्तरदाता की बेंचमार्क विकलांगता के बारे में कोई विवाद नहीं है। यह भेदभावपूर्ण और जनादेश का उल्लंघन होगा

सेवा एक समान सामग्री के पद पर भी एक पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित पदोन्नति पद में एक रिक्ति पर विचार करने का हकदार नहीं होगा। यह परिणाम है यदि प्रवेश बिंदु को लाभों का लाभ उठाने की पात्रता का निर्धारक माना जाता है। भर्ती के स्रोत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन जो सामग्री है वह यह है कि कर्मचारी उस समय पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए एक पीडब्ल्यूडी है। 1995 का अधिनियम उस व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है जिसने विकलांगता के कारण सेवा में प्रवेश किया हो और उस व्यक्ति के बीच जो सेवा में प्रवेश करने के बाद विकलांगता प्राप्त कर चुका हो। इसी तरह, वही पद उस व्यक्ति के साथ होगा जिसने अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर सेवा में प्रवेश किया होगा।

सेवा में प्रवेश का तरीका भेदभावपूर्ण पदोन्नति का मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता है।

28. श्री गौरव अग्रवाल ने नोट के माध्यम से न्यायमित्र का ज्ञान प्राप्त किया

उच्च न्यायालय के अलग-अलग विचारों की ओर भी इशारा किया - ए। पूनम मनचंदा बनाम भारत संघ 1 1

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 70 प्रतिशत विकलांग याचिकाकर्ता के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसने उन्हें 1999 में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और 2007 में लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। दोनों अवसरों पर उन्होंने आरक्षण का दावा नहीं किया, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में माना गया। अगला पद वरिष्ठ लेखा अधिकारी का था।

और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के लिए निर्धारित रोस्टर नंबर 1 पर पदोन्नति का दावा किया। नियमों में समूह ए और समूह बी के पदों पर पदोन्नति में पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार गुप्ता के मामले (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए राहत प्रदान की और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 3 प्रतिशत से कम पदोन्नति के लिए माना जाए

पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया।

बी। भारत संघ बनाम पूनम मनचंदा 1 2 -

इस न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की गई थी, जिसमें कई मामलों पर विचार किया गया था, जिनमें से निर्णय सिद्धाराजू के मामले (उपरोक्त) में दिया गया था।

सी। कमला चान्याल बनाम उत्तराखंड राज्य 1 3

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार फिर फैसले पर भरोसा किया

राजीव कुमार गुप्ता के मामले में (उपरोक्त) ने एक ओ. एम. को इस हद तक रद्द कर दिया कि उसने समूह ए और बी के पदों में पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षण से इनकार कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को पीडब्ल्यूडी के रूप में आरक्षण के लाभ की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे पर विचार करे। हम ध्यान दे सकते हैं कि विद्वान न्यायमित्र के समाधान के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सरकार

भारत सरकार को पदोन्नति न मिलने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होती हैं।

समूह ए और बी पदों में पीडब्ल्यूडी को पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित करके। बी. उमा प्रसाद बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ई. पी. एफ. ओ. 1 4,

11 2019 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 2710।

1 2 सिविल अपील सं. 6092/2019. 13 डब्ल्यू. पी. सं. 126/2015-निर्णय दिनांक 29.11.2016 14 विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन), सरकार के समक्ष एक मामला।

मुख्य आयुक्त ने देखा कि शिकायतकर्ता को नहीं दिया जा रहा था

समूह बी पद पर पदोन्नति में आरक्षण और सिफारिश की कि प्रतिवादी बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति दे सकता है

समूह ए और समूह बी पदों सहित सभी पदों पर।

निष्कर्ष

29. हमारा विचार है कि विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई कार्रवाई हितकर है और इसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।

केरल राज्य इन निर्णयों को लागू करेगा और उक्त पदों की पहचान करने के बाद सभी पदों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करेगा। यह अभ्यास तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। हम इसे समयबद्ध बना रहे हैं ताकि पद की पहचान न करने के लिए धारा 32 को एक बहाना बनाकर अधिनियम के जनादेश को फिर से निराश न किया जाए। 30. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 2016 के अधिनियम में अब इस बात का ध्यान रखा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण के पहलू से कैसे निपटा जाए। यह दृश्य

उपरोक्त को प्रस्तावित करने की आवश्यकता थी क्योंकि 1995 के अधिनियम के संदर्भ में अभी भी बड़ी संख्या में मामले सामने आ सकते हैं।

31. तदनुसार अपील को उपरोक्त शर्तों में खारिज कर दिया जाता है।

32. हम श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सक्षम सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करते हैं और ध्यान देते हैं कि

अपना सारांश प्रस्तुत करते हुए उन्हें श्री एस. के. रूंगटा, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री अर्चित वर्मा, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय में कानूनी सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की गई।

याचिका खारिज कर दी गई।